कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag
E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 972 /10एल.ए. दिनांक 16 /05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:– **जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–कौटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ:– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/एफ.यू./यू.के./रोड़/18867 /2016 देहरादून दिनांक 24.06.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी.यू.सी.पी./06/109/2016/एफ.सी./122 दिनांक 19–05–2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वनभूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्तरा अभिकरण की लागत पर 4.44 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम नौली बंजर भीटा सिविल खसरा नं0 2 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहा तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग के द्वारा आख्या दी जानी है।
	(ख) गैर वानकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्वचात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline pata 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है। को वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	म्यूटेशन कर दिया गया है। संलग्न–1
	(ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	–
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	–
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन.पी.वी. की धनराशि CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न–

Computer Sandrbh.426

Scanned with CamScanner

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की WP(c) संख्या 202/1995 में IA 556 दिनांक 30.10.2008, 0108.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (pt-2) दि. 18.09.2003, 5–2/2006– एफ.सी. दि. 03.10.2006 एवं 5–3 /2007–एफ.सी. दि. 05.02.2009 मे जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.219 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	एन.पी.वी. की धनराशि रू. 33,72,152.00 आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 150896110119837 मे जमा कर दी गई है। संलग्न–1
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध मूल्य अतिरिक्त, राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। संलग्न–1
6	राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षों में Online oart II para 4 (ii) में 209 वृक्षो के साथ 177 Saplings details भी अंकित करना सूनिश्चित करें। साथ ही कुल 386 वृक्षो की Revised enumeration list की हार्ड कॉपी भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 209 वृक्ष एवं 177 Saplings होगी, एवं पेड़ राज्य वन विभाग के शर्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधीकरण फंण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न–
9	एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एंव उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा।	शर्त मान्य है।
11	स्रंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनीयमन साइनेज लगाये जायेंगे।	शर्त मान्य है।
12	सीडब्लूएलडब्लू/एनबीडब्लूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वनि क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त मान्य है।
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करेगा।	शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
19	इस अनुमोदन में प्रतयावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के	शर्त मान्य है।

Scanned with CamScanner

	साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	
20	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
21	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एंव पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
23	पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वचन एंव वन्य जीवों के संरक्षण द विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
24	अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।	उक्त प्रस्ताव का म्यूटेशन दिनांक 07.12.2021 को सत्यापन किया जा चुका है। जिसे ई–पोर्टल (https//parivesh.Nic.in/) पर अपलोड कर दी गई है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

16.5.24

(इं० नवीन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

पत्रांक /10एल०ए० दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, सातवॉ वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
कर्णप्रयाग।

Computer Sandrbh.428

Scanned with CamScanner

4/6|1145
29/4/021

– आदेश –

जनपद चमोली अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.219है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.440 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव तकनीकी अधिकारी(वानिकी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/109/2016 /एफ0सी0/122 दिनांक 19.05.2020 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.219 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम नौली रा0उ0नि0 क्षेत्र थापली तहसील कर्णप्रयाग की ख0खा0सं0–12 के ख़सरा सं0–02 रकबा 7.248 है0 भूमि मध्ये 4.440 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारण से अकृषक भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II) /2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस0 मदौरिया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 5400/छब्बीस–23(2020–2021) गोपेश्वरः दिनांकः 17 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

अमीन / RK LA (C)

30/4/21

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

NZA खतौनी नकल ग्राम नौली रा० उप० नि० क्षेत्र थापली तह० कर्णप्रयाग जिला चमोली

श्रेणी 10(4) अन्य कारण से अकृषित भूमि

1	2	3	4	5	6
12	भीटा		2	7.248	जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं० 5400/ इक्कीस-23 (2020-2021) गोपेश्वर दिनांक 17 अप्रैल 2021 के क्रम में ग्राम नौली के NZA खाता खतौनी सं० 12 में खसरा सं० 2 मध्ये 4.440 हे० भूमि, बगोली कोटि मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने बावत खतौनी में अमलदरामद किया गया। (हस्ताक्षर) रा०उप०नि० थापली दि०: 17/07/2021
			71	0.553	
			78	0.013	
			81	0.010	
			120	0.113	
			126	5.086	
			241	0.065	
			312	0.029	
			325	0.008	
			375	0.060	
			413	0.018	
			450	0.030	
			613	0.084	
			617	0.083	
			622	0.014	
			646	0.020	
			693	0.373	
			704	0.039	
			799	0.095	
		सम्पूर्ण योग	19	13.996	

नकल खतौनी असल से तैयार किया।

(हस्ताक्षर)

राजस्व उपनिरीक्षक तहसील कर्णप्रयाग (चमोली) थापली

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

बगोली कोटी मार्ग विस्तारीकरण हेतु वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि नक्ल खसरा ग्राम जौली रा०उ०नि० क्षेत्र थापली तहसील कर्णप्रयाग -चमोली

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 से 21
2	7.248	12	उ० प्र० स०						भीटा 7.248

खसरा सं० 2 रकबा 7.248 म० 5.550 है० भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की जाती है।

राजस्व उपनिरीक्षक तहसील कर्णप्रयाग (चमोली) थापली।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

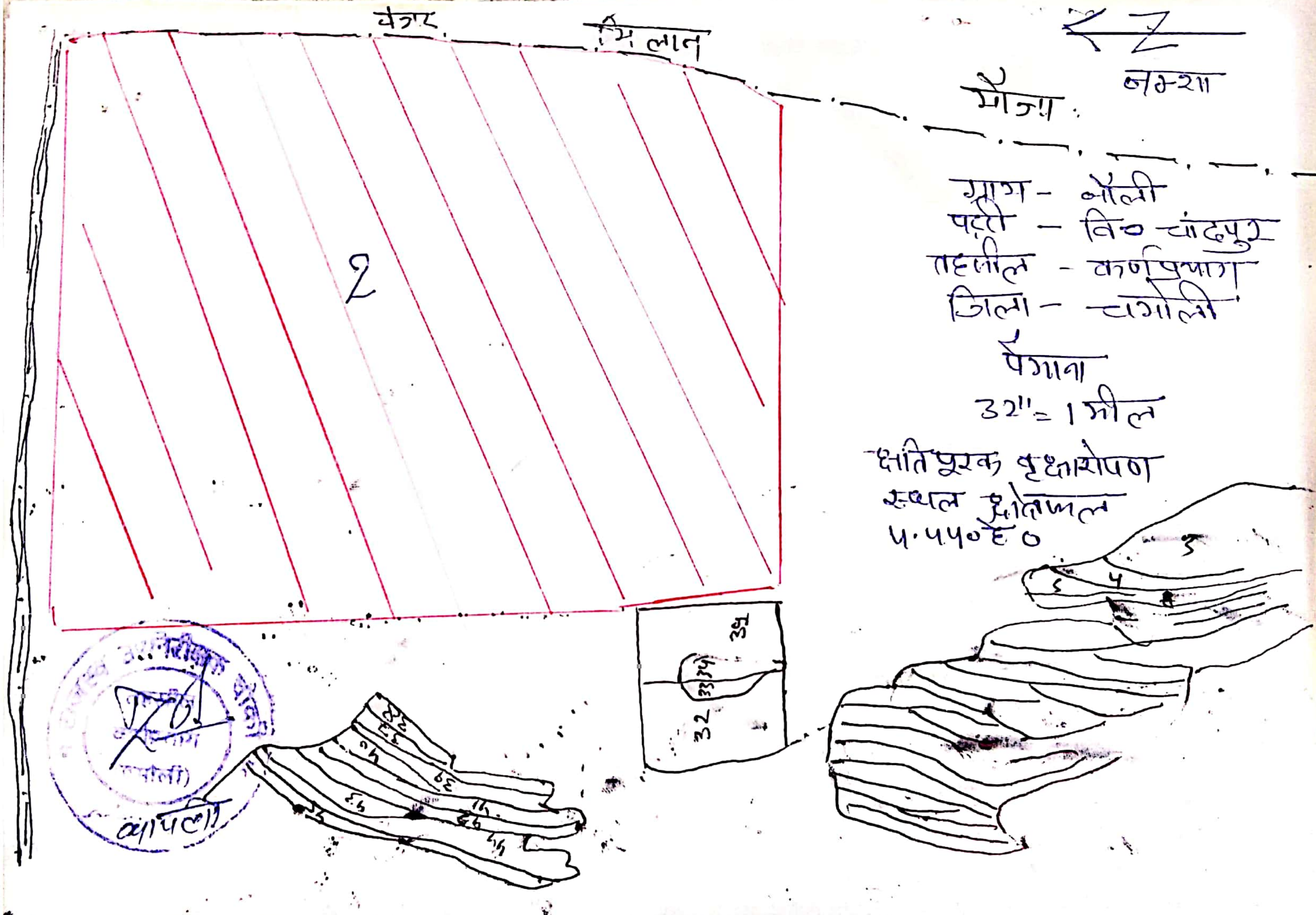

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-01-2021

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6110119837
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/109/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.- Chamoli (Uttarakhand)Chamoli
Amount(in Rs)	3372152/-

Amount in Words :Thirty-Three Lakh Seventy-Two Thousand One Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110119837 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma

Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

30 JAN

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

112A
851
28/7/

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372-252175

पत्रांक 288 / 12-1 ,गोपेश्वर, दिनांक 20/07/ 2019।

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः- जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/109/2016/एफ0सी0/122 दिनांक 19.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के संदर्भित पत्र से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुसार मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः-

1. शर्त सं0 01 के अनुसार वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. शर्त सं0 2 के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।
3. शर्त सं0 03 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.44 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम नौली बंजर भीटा सिविल खसरा नं0 02 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 की दर 337184.00प्रति है0 से कुल धनराशि रू0 14,97,097.00 जमा की जायेगी।
4. (क) शर्त सं0-5 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यार्वित वन भूमि के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 18,75,055.00(रू0 अठ्ठारह लाख पिचौत्तर हजार पचपन) मात्र की धनराशि जमा की जायेगी।
   (ख) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई दर से धनराशि जमा किए जाने का वचनबद्वता प्रमाण पत्र का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. शर्त सं0 8 परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://pravesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेगें।

अतः उपरोक्त धनराशि रू0 33,72,152.00 (रू0 तेतीस लाख बहत्तर हजार एक सौ बावन) मात्र की धनराशि जमा करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या की चार-चार मूल प्रतियो में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑनलाईन पोर्टल (https://pravesh-nic-in/) पर अपलोड भी करे।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीयवनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

LAC ... आवश्यक कार्यवाही हेतु
28/7/20

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः— जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावति मार्ग के निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

13.07.01

अमीन लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभयन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.219 हैक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण ।

एन॰पी॰वी॰ जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण मे एन॰पी॰वी॰ की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा॰ उच्चतम न्यायालय द्वारा एन॰पी॰वी॰ की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है, तो एन॰पी॰वी॰ की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	13.07.21 अधिशासी अभयन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(J. 6) (15)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /   Dated : 14 / 01 / 2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **2.219 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Extension of Bagoli Koti Motor Road in district Chamoli** falls within jurisdiction of Koti, Painkholi Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.219 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

<u>Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006</u>

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on .14-01-2015.. At 14:00 hrs at Chamoli in which the application claiming rights in village Koti, Painkholi of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 2.219 Hectares for the **Extension of Bagoli Koti Motor Road in district Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली–कोटी मोटर मार्ग का विस्तार।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड ....चमोली.........परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली–कोटी मोटर मार्ग का विस्तार (....x.....हे. आरक्षित वन भूमि...0.245....हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.974 .हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.219 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/015......को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/015......उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:– श्री ...[illegible] नेगी उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ( ) अध्यक्ष 13/1/2015

2:– श्री [illegible]...... उप प्रभागीय बनाधिकारी .... सदस्य,

3:– श्री मोहन सिहं भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग .सदस्य सचिव

4:– श्री [illegible] बी.डी.सी. क्षेत्र पंचायत कोटी सदस्य

5- श्री [illegible] वन अधिकार समिति

6 श्रीमती [illegible] रावत वन अधिकार समिति सदस्य

7 श्री [illegible] सिंह नेगी

उप प्रभागीय वनाधिकारी चमोली उप वन प्रभाग (गोपेश्वर)

ज्येष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली–कोटी मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना हेतु 2.219 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(116).

~~परिक्षेत्र~~ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी नागनाथ पोखरी/कर्णप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागमत वन निवासी (वन अधिकारों कीर मान्यता) अधिनिमयम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अण्धिशनिमयम 2006 के अन्त्रगत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्जतुत नहीं हकिया गयाह"। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु परियोजना के निर्माण हेतु ...2.219..हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवासही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद – चमोली।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली–कोटी मोटर मार्ग का विस्तार।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– कोटी

तहसील – कर्णप्रयाग, जिला.– चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत बगोली–कोटी मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु(X हे. आरक्षित वन भूमि, 0.245 हे. सिविल सोयम भूमि 1.974 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 2.219 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटी द्वारा दिनांक ......6-1-2015......को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

[signature] 7/1/15

ज्येष्ठ उप प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत कोटी
हस्ताक्षर [signature]
दिनांक 6/1/2015
वि०ख०–कर्णप्रयाग चमोली

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./–

ग्राम सचिव. ग्राम प्रधान– कोटी

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनाक 6.1.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – कोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1:–	सर्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद	[signature]
2–	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद
3:–	भरत सिंह राणा	[signature]
4:–	जयवीर सिंह	[signature]
5:–	मानसिंह	[signature]
6.	जगदीश प्रसाद	[signature]
(7)	B D Dimri	[signature]
8-	जगतसिंह	[signature]
(9)	भरत लाल	भरतलाल
(10)	गिरिश लाल	गिरिशलाल

[signature] 6/1/15 उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत कोटी हस्ताक्षर [signature] दिनांक 6/1/2015

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (लम्बाई – 6.000 कि0मी0)

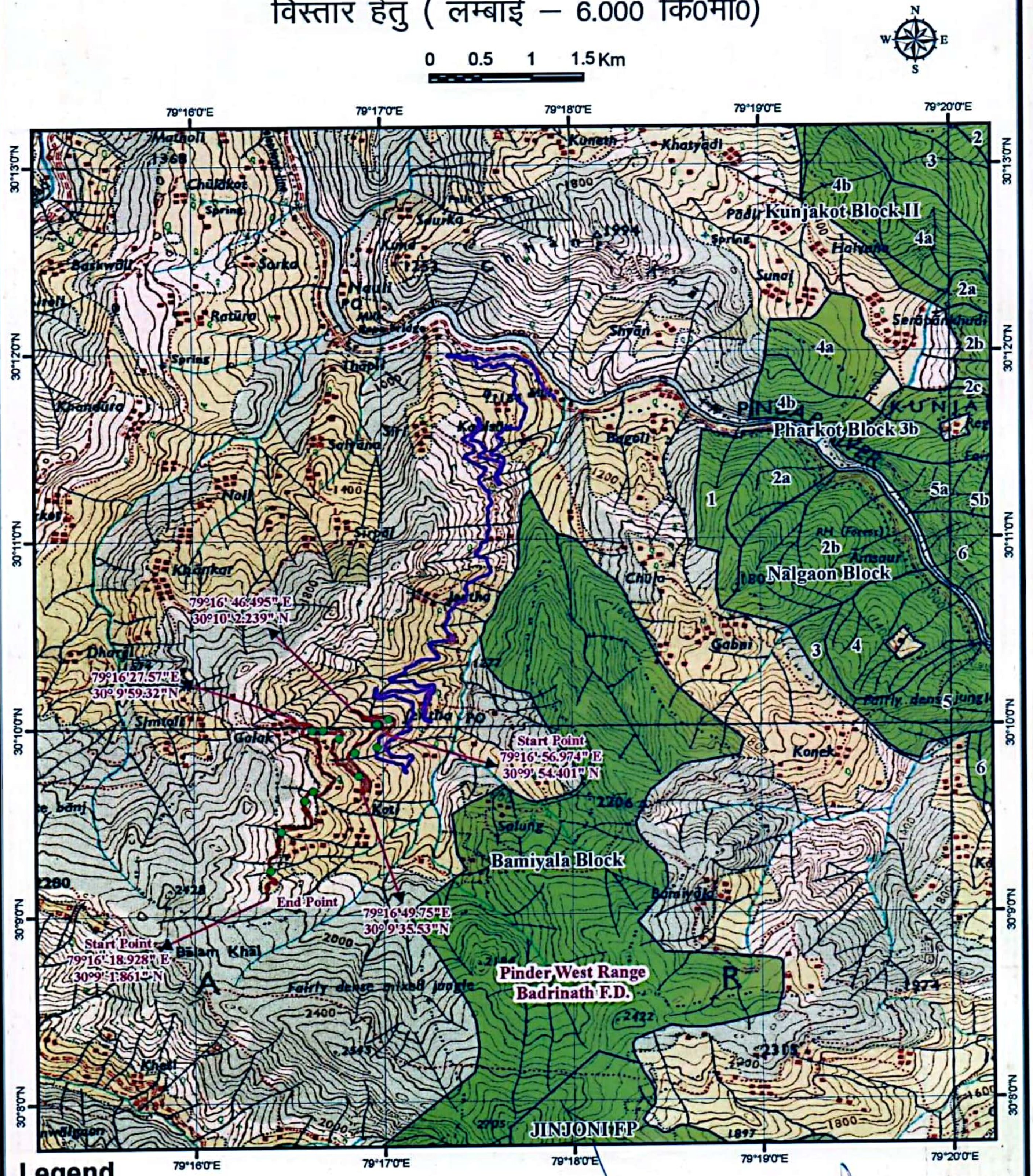

Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

जियो रेफरेंस मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली–कोटी मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (लम्बाई – 6.000 कि0मी0)

Scale - 1:10,000

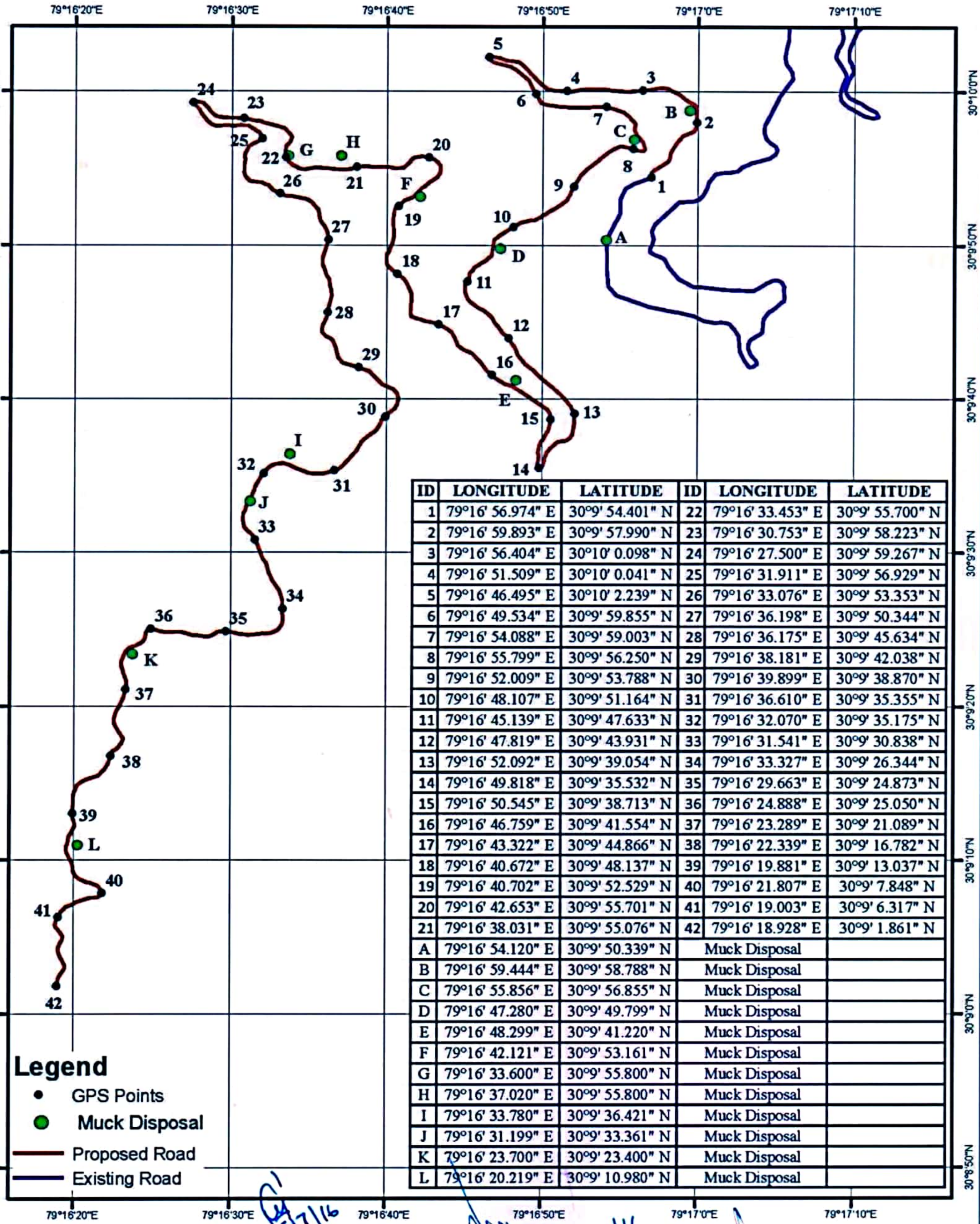

ID	LONGITUDE	LATITUDE	ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79°16' 56.974" E	30°9' 54.401" N	22	79°16' 33.453" E	30°9' 55.700" N
2	79°16' 59.893" E	30°9' 57.990" N	23	79°16' 30.753" E	30°9' 58.223" N
3	79°16' 56.404" E	30°10' 0.098" N	24	79°16' 27.500" E	30°9' 59.267" N
4	79°16' 51.509" E	30°10' 0.041" N	25	79°16' 31.911" E	30°9' 56.929" N
5	79°16' 46.495" E	30°10' 2.239" N	26	79°16' 33.076" E	30°9' 53.353" N
6	79°16' 49.534" E	30°9' 59.855" N	27	79°16' 36.198" E	30°9' 50.344" N
7	79°16' 54.088" E	30°9' 59.003" N	28	79°16' 36.175" E	30°9' 45.634" N
8	79°16' 55.799" E	30°9' 56.250" N	29	79°16' 38.181" E	30°9' 42.038" N
9	79°16' 52.009" E	30°9' 53.788" N	30	79°16' 39.899" E	30°9' 38.870" N
10	79°16' 48.107" E	30°9' 51.164" N	31	79°16' 36.610" E	30°9' 35.355" N
11	79°16' 45.139" E	30°9' 47.633" N	32	79°16' 32.070" E	30°9' 35.175" N
12	79°16' 47.819" E	30°9' 43.931" N	33	79°16' 31.541" E	30°9' 30.838" N
13	79°16' 52.092" E	30°9' 39.054" N	34	79°16' 33.327" E	30°9' 26.344" N
14	79°16' 49.818" E	30°9' 35.532" N	35	79°16' 29.663" E	30°9' 24.873" N
15	79°16' 50.545" E	30°9' 38.713" N	36	79°16' 24.888" E	30°9' 25.050" N
16	79°16' 46.759" E	30°9' 41.554" N	37	79°16' 23.289" E	30°9' 21.089" N
17	79°16' 43.322" E	30°9' 44.866" N	38	79°16' 22.339" E	30°9' 16.782" N
18	79°16' 40.672" E	30°9' 48.137" N	39	79°16' 19.881" E	30°9' 13.037" N
19	79°16' 40.702" E	30°9' 52.529" N	40	79°16' 21.807" E	30°9' 7.848" N
20	79°16' 42.653" E	30°9' 55.701" N	41	79°16' 19.003" E	30°9' 6.317" N
21	79°16' 38.031" E	30°9' 55.076" N	42	79°16' 18.928" E	30°9' 1.861" N
A	79°16' 54.120" E	30°9' 50.339" N	Muck Disposal		
B	79°16' 59.444" E	30°9' 58.788" N	Muck Disposal		
C	79°16' 55.856" E	30°9' 56.855" N	Muck Disposal		
D	79°16' 47.280" E	30°9' 49.799" N	Muck Disposal		
E	79°16' 48.299" E	30°9' 41.220" N	Muck Disposal		
F	79°16' 42.121" E	30°9' 53.161" N	Muck Disposal		
G	79°16' 33.600" E	30°9' 55.800" N	Muck Disposal		
H	79°16' 37.020" E	30°9' 55.800" N	Muck Disposal		
I	79°16' 33.780" E	30°9' 36.421" N	Muck Disposal		
J	79°16' 31.199" E	30°9' 33.361" N	Muck Disposal		
K	79°16' 23.700" E	30°9' 23.400" N	Muck Disposal		
L	79°16' 20.219" E	30°9' 10.980" N	Muck Disposal		

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

डिजिटल मैपः—जनपद चमोली के अंतर्गत बगोली कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल—4.44 है0)

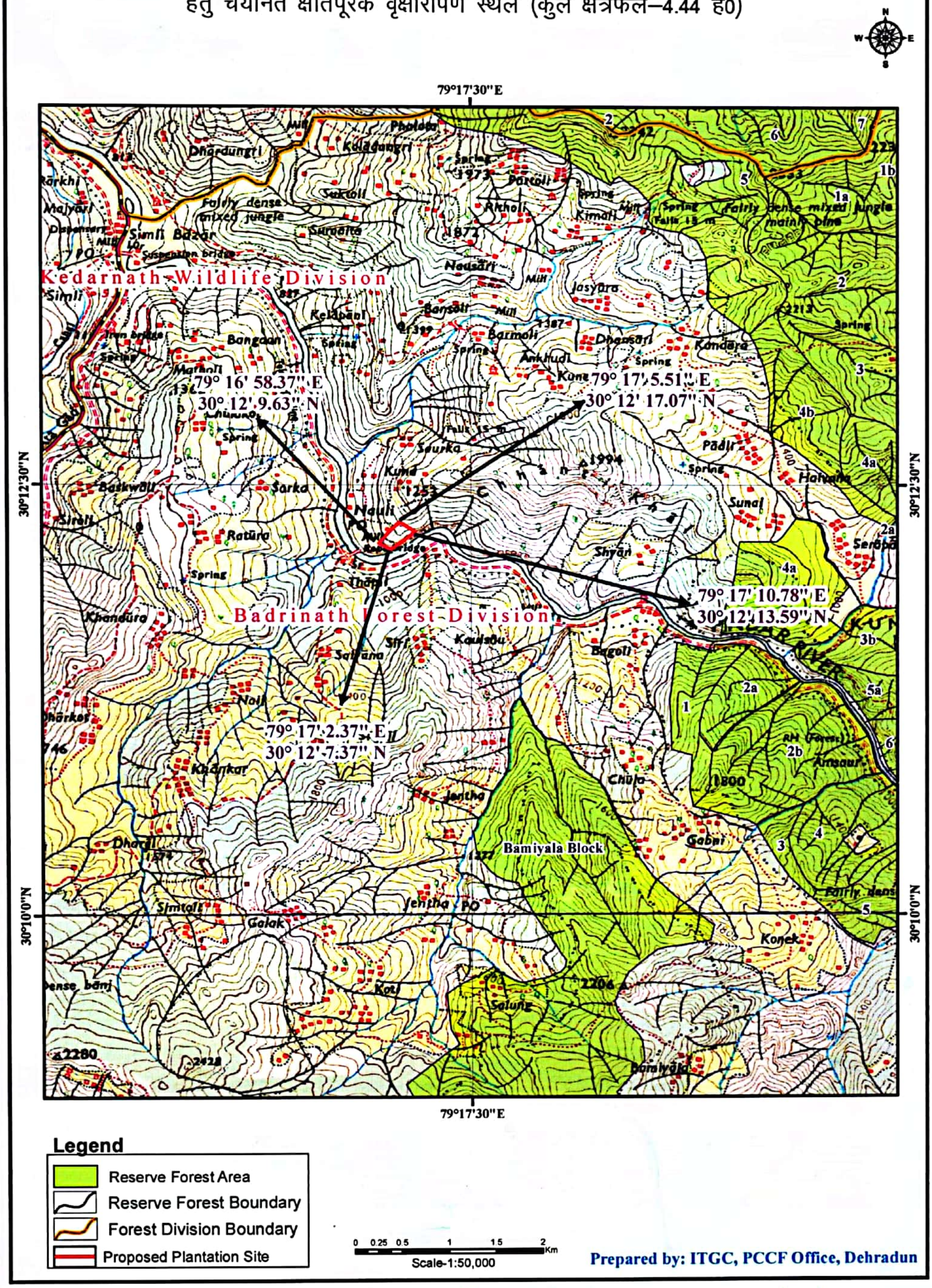

J.E

AE
सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0

Executive Engineer
Pro. Div. Public Works Department
Karnaprayag

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

जियोरेफेरेन्स मैपः–जनपद चमोली के अंतर्गत बगोली कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल–4.44 है0)

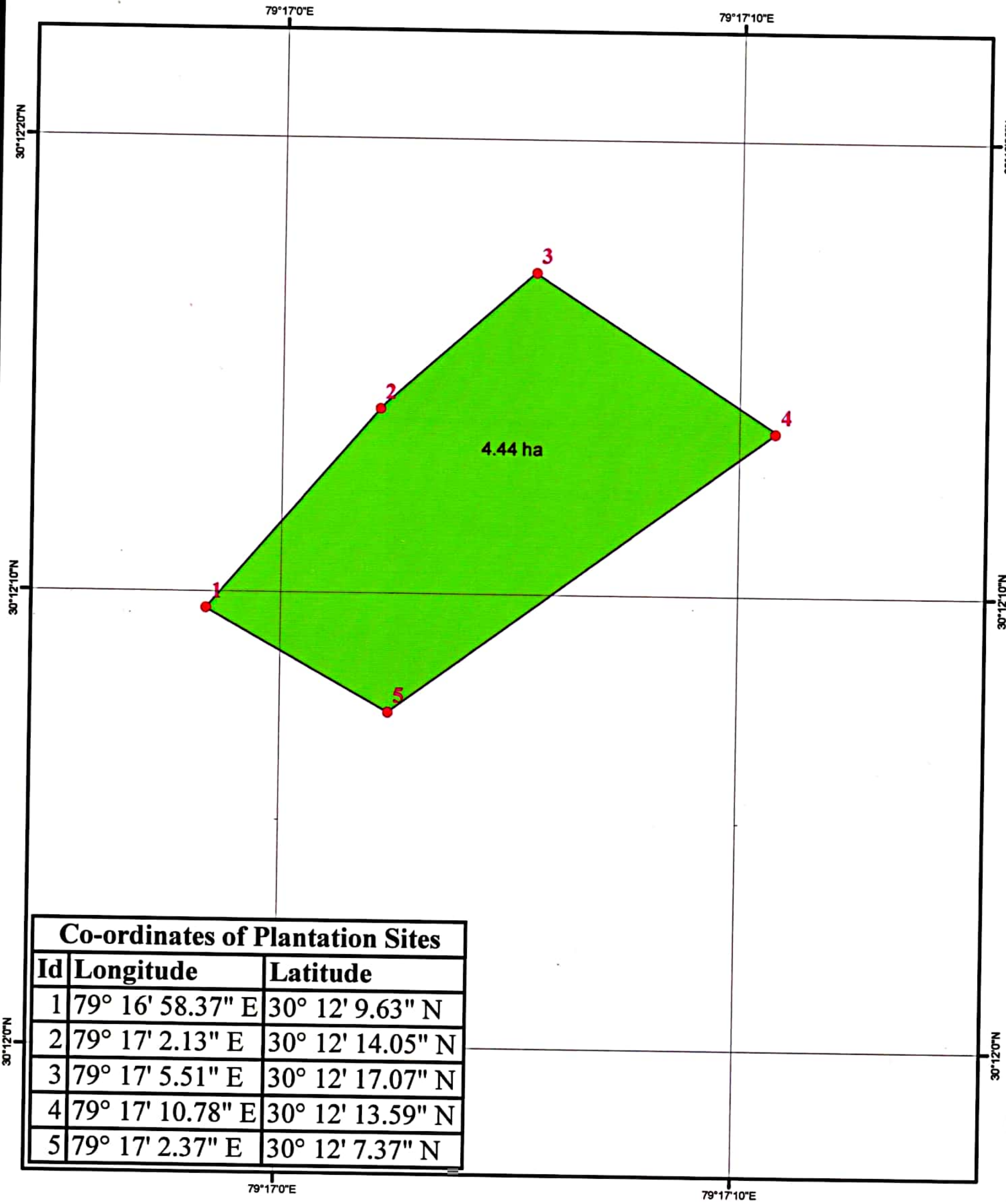

Co-ordinates of Plantation Sites		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 16' 58.37" E	30° 12' 9.63" N
2	79° 17' 2.13" E	30° 12' 14.05" N
3	79° 17' 5.51" E	30° 12' 17.07" N
4	79° 17' 10.78" E	30° 12' 13.59" N
5	79° 17' 2.37" E	30° 12' 7.37" N

Legend

- GPS Location
- CA Land

1:3,500

0 0.0475 0.095 0.19 km

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

J.E

AE
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

2.1.19
Executive Engineer
Pro. Div. Public Works Department
Karnaprayag

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner